INDEX

Criteria : 06

Key Indicator : 6:2

Metric No. : 6.2.2

Metric Name : The functioning of the institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative setup, appointment and service rules procedure, etc.

S.No.	Particulars of Document	Annexure	Page No.
01	Guest lecturer posting ordinance	A-01	01-03
02	seat for allocation and for admission	A-02	01
03	Tranfer policy and Academic calender	A-03	01-13

A-01

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
--00--

क्रमांक एफ 3–54/2020/38–1 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/07/2023**

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

--00--

राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त (कुल 2047) पदों के विरूद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर (प्रति व्याख्यान 300.00, अधिकतम, अधिकतम 1200.00 प्रतिदिन तथा अधिकतम 31,200 प्रतिमाह के मानदेय पर) अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए 10 माह हेतु अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 876 दिनांक 07.07.2023 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.ए. निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–54/2020/38–1 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/07/2023**

प्रतिलिपिः–

01. **सचिव**, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
02. **सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर, जावक क्रमांक 876 दिनांक 07.07.2023 के संदर्भ में
03. **महालेखाकार**, छत्तीसगढ रायपुर
04. **आयुक्त**, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
05. **विशेष सहायक**, मान. मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग
06. **समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक**, ...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(2)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटलन गर, रायपुर (छ.ग.)
(फोन– 0771–2636413 फैक्स– 0771–2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक – 504 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.07.2023

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– **शैक्षणिक सत्र 2023–24 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत्।**

संदर्भ :– उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक–एफ–3–54 / 2020 / 38–1 दिनांक 07.07.2023

——00——

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों मे प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

जिन शासकीय महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा यदि कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालयीन निर्देशों के अधीन की जावें।

इसके साथ ही महाविद्यालय स्तर से अतिथि व्याख्याओं की व्यवस्थाओं हेतु जारी विज्ञापन में आवश्यक रूप से यह उल्लेख किया जावें कि जिन विषयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की जायेगी उन विषयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी।

अंग्रेजी माध्यम के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में जारी होने वाले विज्ञापनों में यह भी उल्लेख करें कि आवेदक को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव हो तथा अध्यापन के दौरान छात्र–छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदकों को मॉक कक्षा में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा तथा संचालनालय / महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन का अनुभव / सक्षमता एवं दक्षता के परीक्षण उपरांत अनुशंसित अभ्यर्थी ही अतिथि व्याख्याता के रूप में पात्र माने जावेंगे। जिसके पश्चात निर्धारित मापदण्ड / गुणानुक्रम के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जावेगा।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

श्री योगेश्वर साहू
12/07/23

शासकीय महाविद्यालय, खेरथा (छ.ग.) जिला बालोद
क्र. 123 दि. 14/07

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

③

पृ.क्रमांक – 505 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10.07.2023

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर / अम्बिकापुर संभाग(छ.ग.)।
3. समस्त जिला कोषालय अधिकारी।

.................................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

A - 02

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)
Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001
Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No.1247/Academic/Annual Affiliation/GC-51/2024 **Durg, Dated - 12 / 02 /2024**

ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted **Annual Affiliation** for the year **2023-24** as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statue 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
Government College, Khertha, Distt. - Balod (C.G.)	**B.A.**- F.C., Political Science, Sociology, Geography	100	Permanent Affiliation
	B.Sc.- F.C., Chemistry, Botany, Zoology	100	Non-Permanent Affiliation
	B.Com.	60	Non-Permanent Affiliation
	M.A.- Political Science	25	Non-Permanent Affiliation

Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within **10 days** from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Registrar
Hemchanadav Vishwavidyalaya, Durg

No.1248/Academic/Annual Affiliation/ GC-51/2024 **Durg, Dated - 12 / 02 /2024**

Copy to –

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Flour, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

Assistant Registrar (Acad.)
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

A-03

01

38

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 1–2/2022/एक/6 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– स्थानांतरण नीति वर्ष, 2022.

––000––

राज्य शासन एतदद्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए वर्ष, 2022 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. जिला स्तर पर स्थानांतरण–

1.1 **दिनांक 16 अगस्त, 2022 से 10 सितम्बर, 2022 तक जिला स्तर** के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण आदेश तदानुसार प्रसारित होंगे।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है।

1.2 स्थानांतरण प्रस्ताव, संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त तैयार किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

1.3 स्थानांतरण के समय ध्यान रखा जाए कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर–अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। आशय् यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहें।

Govt. College Khertha
Khertha
Distt. Balod
Balod (C.G.)

Govt. College Khertha
Khertha
Distt. Balod
Balod (C.G.)

1.4 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थान। से स्थानांतरण न्यूनता (**Deficit**) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (**Deficit**) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके।

1.5 **ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त, 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हों, केवल उन्ही के स्थानांतरण किये जायेंगे।**

1.6 दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए।

1.7 जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर तक सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि- 15 दिन में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

1.8 स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना कलेक्टर का दायित्व होगा।

2. राज्य स्तर पर स्थानांतरण–

2.1 **राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 10 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।**

2.2 प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के माननीय मंत्रीजी के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे।

राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

2.3 माननीय विभागीय मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) के माध्यम से ही माननीय विभागीय मंत्रीजी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे और अनुमोदन उपरान्त आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।

2.4 विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इमबैलेंस) है, उसे संतुलित (बैलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियाँ बनी रहे।

2.5 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, से स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (**Deficit**) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (**Deficit**) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके।

2.6 अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं।

2.7 छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

2.8 दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए।

2.9 सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी को न दिया जाए।

2.10 जिन कर्मचारियों की नियुक्ति **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड** द्वारा स्थानीय निवासी होने के आधार पर जिला विशेष में किये गये हैं, उनका स्थानांतरण उस जिले के बाहर नहीं किया जावेगा। किन्तु अधिसूचित जिलों में परस्पर (आपसी) स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

2.11 विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हों और उनका क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर किया जाएगा तथा स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किये जाएंगे। स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

3 स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध –

3.1 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाये।

3.2 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये।

3.3 ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाये।

3.4 अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किया जायेगा।

3.5 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नहीं किये जायेंगे।

3.6 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

3.7 ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे, अर्थात अपने-अपने संवर्ग में ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

3.8 ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में किये स्थानांतरण शून्य माना जावेगा, अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।

3.9 सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था से यहां आशय शाला में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

विशेष टीपः-

- उपर्युक्त स्थानांतरण अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण आदेश यदि निरस्त या संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण/संशोधन आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समन्वय में अनुमोदन पश्चात् ही निरस्त/संशोधित किये जा सकेंगे। स्थानांतरण पर छूट की अवधि में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तथा राज्य स्तर पर भारसाधक सचिव द्वारा विभागीय मंत्री के उपरान्त निरस्त अथवा संशोधन किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
- स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर उक्त स्थानांतरण स्वंयमेय निरस्त माना जावेगा।

4. स्थानांतरण पर प्रतिबंध-

4.1 जिला स्तर तथा विभाग स्तर से **क्रमशः दिनांक 10 सितंबर, 2022 तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के पश्चात् स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा,** किन्तु अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रतिबंध की अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।

4.2 समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे, उसमें संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जावे तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ

Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

6.5 जिला/शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को क्रमशः दिनांक 15 सितम्बर, 2022 एवं 30 सितम्बर, 2022 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे।

7. जिला स्तरीय स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन-

स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक, स्थानांतरण नीति का उल्लंघन होने पर स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध स्पष्ट आधारों के साथ अपना अभ्यावेदन स्थानांतरण आदेश के जारी होने की तिथि से **15 दिवस** के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति के साथ संबंधित विभाग द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। उक्त समिति में संबंधित भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी होगें। विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

8. राज्य स्तरीय स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन-

स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक द्वारा अपने स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ, स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से **15 दिवस** के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति के साथ शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को **02 प्रतियों** में प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करने के पश्चात् अपनी अनुशंसा संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी। यह संबंधित विभाग का दायित्व होगा कि प्रकरण में आवश्यकतानुसार समन्वय में विधिवत् अनुमोदन उपरान्त यथोचित् आदेश पारित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

है, तथा प्रस्तावित स्थानांतरण को सम्मिलित करते हुए कुल कितने स्थानांतरण अब तक हो चुके है तथा उसका प्रतिशत कितना है।

5. विशेष उपबंध –

निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित अवश्य होता है किन्तु इनके लिए प्रकरण समन्वय मे भेजने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी पदस्थापनाएँ संबंधी आदेश वर्ष भर माननीय विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगे :–

5.1 प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना, यदि उससे कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित नहीं होता है।

5.2 किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले को छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लायमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौंपा जाना, यदि दोनों विभाग इसके लिए सहमत हों।

5.3 लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर पदस्थापना।

5.4 न्यायालय के निर्देश/निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना यदि कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित न होता हो।

5.5 पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना यदि कोई अन्य शासकीय सेवक प्रभावित न होता हो।

6. नीति के पालन का दायित्व–

स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित हो, उसकी जिम्मेदारी शासन स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा जिला स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश हेतु संबंधित कलेक्टर की होगी। वे विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे कि:–

6.1 स्थानांतरण आदेश का पालन हो रहा है।

6.2 किसी भी स्तर के स्थानांतरण आदेश अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी नहीं किए जायेंगे। अर्थात् स्थानांतरण नीति में उल्लेखित अवधि हेतु जिला स्तर एवं शासन स्तर के स्थानांतरण माननीय प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन उपरांत ही जारी किये जा सकेंगे। समन्वय में होने वाले स्थानांतरण के मामलों में समन्वय में अनुमोदन होने के उपरान्त ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

6.3 समन्वय के प्रकरणों के मामलों में प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.4 प्रतिबंधित अवधि में समन्वय में जारी होने वाले स्थानांतरण आदेशों में यह उल्लेख आवश्यक रूप से हो कि स्थानांतरण आदेश समन्वय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे हैं, तथा स्थानांतरण आदेश की प्रतिलिपि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में निहित पृष्ठांकन अनुसार किया जाए।

Govt. College Khertha Distt. Balod Balod (C.G.)

पृ.क्रमांक एफ 1–2/2022/एक/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि:–

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
13. समस्त जिला कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़,
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
16. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर,
17. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Govt. College Khertha Distt. Balod Balod (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर

//संशोधित आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1–21/2022/38–1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 में संशोधन कर निम्नलिखित लिपकीय वर्ग को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम–6 में स्थानान्तरित कर पदस्थ करता है :–

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण उपरांत पदस्थापना	संशोधन उपरांत पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रमणी कमलाक्षन	सहायक ग्रेड–1	शासकीय दू.श्री वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, जिला–रायपुर	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा, जिला–बेमेतरा	शासकीय दू.श्री वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर, जिला–रायपुर
2	श्री इंदल ध्रुव	सहायक ग्रेड–2	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला–दुर्ग	शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला–कोरबा	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला–दुर्ग
3	श्री योगेश्वर कुमार साहू	सहायक ग्रेड–2	शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव	शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद, जिला–बालोद	शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला–बालोद
4	श्री संतोष कुमार तिवारी	सहायक ग्रेड–2	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला–बस्तर	ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर–चांपा, जिला–जांजगीर चांपा	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला–बस्तर

Govt. College Khertha Distt. Balod Balod (C.G.)

निरंतर......

5	श्री प्रमोद कुमार जोशी	सहायक ग्रेड–2	दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय, मचांदुर, जिला–दुर्ग	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग	दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय, मचांदुर, जिला–दुर्ग
6	श्री कृष्णकांत यादव	सहायक ग्रेड–2	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग	दाऊ उत्तम साव शास.महा. मचांदुर, जिला–दुर्ग	इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग
7	श्री बी.एस. ठाकुर	सहायक ग्रेड–3	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा जिला–बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय कण्डेल, जिला–धमतरी	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा जिला–बिलासपुर

2/ स्थानांतरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ उपरोक्त स्थानांतरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.ए. निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.01.2023

क्रमांक एफ 1–21/2022/38–1
प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला– रायपुर
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग–........................(छ.ग.),
7. संबंधित कलेक्टर, जिला –........................(छ.ग.),
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला–........................(छ.ग.),
9. संबंधित प्राचार्य –........................(छ.ग.),
10. संबंधित कर्मचारी........................(छ.ग.),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. आदेश फोल्डर

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सत्र 2022–23 का अकादमिक केलेण्डर

क्र.		विवरण	तिथियाँ
1	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2022 से 16.08.2022 तक
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2022 से 15.07.2022 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		26 अगस्त, 2022 तक
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		01.07.2022 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन		11 मार्च, 2023 से 01 मई, 2023
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		16.06.2023 तक
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		31.08.2023 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन		न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		31.10.2023 तक
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ		
	(क)	छात्रसंघ गठन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	03.09.2022 से 09.09.2022 छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियॉं :–		
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंम्भ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2022 से
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2022 तक
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई दो दिन
11	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉं :–		
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2022 में से कोई एक दिन
	(ग)	एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	24.12.2022 से 31.12.2022 तक
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी–फरवरी, 2023

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. College Khertha Distt. Balod (C.G.)

	विवरण		तिथियाँ
	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	03.10.2022 से 05.10.2022 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (3 दिन)	24.10.2022 से 26.10.2022 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2022 से 26.12.2022 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2023 से 15.06.2023 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2022
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2022
	3	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.11.2022
	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	24, 25, 26 नवम्बर, 2022
	5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2022
	6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर, 2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	27, 28, 30 जनवरी, 2023
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	माह फरवरी, 2023
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च, 2023 प्रथम सप्ताह से

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय में ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है विना इसके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाये।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. College Khertha, Distt. Balod (C.G.)

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रकिया	16 जून से 30 जून, 2022	–
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई, 2022	16 जनवरी, 2023
प्रायोगिक परीक्षाएँ	24 नवम्बर, 2022 से	24 अप्रैल, 2023 से
परीक्षा पूर्व तैयारी	25 नवम्बर, 2022 से 10 दिसम्बर, 2022 तक	25 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 तक
लिखित परीक्षाऐं	11 दिसम्बर, 2022 से	11 मई, 2023 से
परीक्षा परिणाम	15 जनवरी, 2023	15 जून, 2023

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –

   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Govt. College Khertha, Distt. Balod (C.G.)

7. यदि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

----000----

Govt. College Khertha, Khertha Distt. Balod, Balod (C.G.)

Govt. College Khertha, Khertha Distt. Balod, Balod (C.G.)

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

(09)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी—3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3950/1252/आउशि/सम./2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/6/2023

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. प्राचार्य,
   समस्त महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :— शैक्षणिक सत्र 2023—24 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक ।

संदर्भ :— अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17—83/2018/38—2 दिनांक 31.05.2023

—00—

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023—24 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3951/1252/आउशि/ सम/2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01/6/2023

प्रतिलिपि :—

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

(10)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 31/5/2023

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।
संदर्भ:– आपका प्रस्ताव कमांक 3920/1252/आउशि/सम./2023 दिनांक 12.05.2023

.....00.......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, के अंतर्गत संचालित छ.ग. के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023–24 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 31/5/2023

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(11)

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

शैक्षणिक सत्र 2023–24 का अकादमिक कैलेण्डर

क्र.	विवरण		तिथियाँ
1	प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर)		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	16.06.2023 से 31.07.2023 तक
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	16.06.2023 से 15.07.2023 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग)	प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि		14 अगस्त 2023 तक
3	नियमित कक्षायें प्रारंभ		01.07.2023 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन		मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह से
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा		15.06.2024 तक
6	पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा		31.08.2024 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन		न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा		31.10.2024 तक
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ		
	(क)	छात्रसंघ गठन प्रकिया एवं शपथ ग्रहण	24.08.2023 से 31.08.2023 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :–		
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2023 से
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2023 तक
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2023 में से कोई दो दिन
11	एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :–		
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2023 के द्वितीय सप्ताह
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2023 में से कोई एक दिन
	(ग)	एनसीसी/एनएसएस कैम्प का आयोजन	23.12.2023 से 29.12.2023 तक
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	जनवरी–फरवरी 2024

02.5.23 02.05.23 02.05.23 02.5.23

(12)

क्र.	विवरण		तिथियाँ
12	अवकाश		
	(क)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	23.10.2023 से 25.10.2023 तक
	(ख)	दीपावली अवकाश (5 दिन)	10.11.2023 से 14.11.2023 तक
	(ग)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	25.12.2023 से 27.12.2023 तक
	(घ)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.06.2024 से 15.06.2024 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	01.09.2023
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	30.09.2023
	3	तृतीय यूनिट परीक्षा	06.11.2023
	4	प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 नवम्बर 2023
	5	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	19.12.2023
	6	द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा	28, 29, 30 दिसम्बर 2023
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	29, 30, 31 जनवरी 2024
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	फरवरी 2024 से
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2024 प्रथम सप्ताह से

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक केलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. पाठ्यक्रम में निर्धारित निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थियों को आन्तरिक परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाये।
4. कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जाये।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जाये।
6. कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जाये।

02.05.23 02.05.23 02.05.23 02.05.23

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रकिया	16 जून से 30 जून 2023 तक	—
कक्षाओं का आरम्भ	1 जुलाई 2023 से	02 जनवरी 2024 से
प्रायोगिक परीक्षाएँ	02 से 11 नवम्बर 2023 तक	15 से 24 अप्रैल 2024 तक
परीक्षा पूर्व तैयारी	13 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक	25 अप्रैल 2024 से 01 मई 2024 तक
लिखित परीक्षाएँ	24 नवम्बर 2023 से	02 मई 2024 से
परीक्षा परिणाम	01 जनवरी 2024 तक	15 जून 2024 तक

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए — प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह तक
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए — प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या तक
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण —
   6 घण्टे अध्ययन—अध्यापन कार्य
   (सैद्धान्तिक, प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिकियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का निष्पादन अनिवार्यतः करेगें।
6. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियॉं प्रदान करेंगें।
7. यदि पाठ्यकम पूर्ण नहीं हुआ है तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।
8. आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन—अध्यापन की पद्धति में सूचना प्रौद्योगिकी का यथोचित विस्तार किया जाये।

—000—